भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 236*

दिनांक 13.03.2013/ 22 फाल्गुन, 1934 (शक) को उत्तर के लिए

असम में पुलिस-व्यवस्था में सुधार

***236. श्री भुवनेश्वर कालिता :**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में पुलिस-व्यवस्था में सुधार किए जाने का कोई प्रस्ताव है;
(ख) क्या पुलिस व्यवस्था में सुधारों के लिए उठाए गए कदमों से अपराधों में कमी आई है; और
(ग) तत्संबंधी ब्यौरा और अद्यतन स्थिति क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)

(क) से (ग) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

*****

दिनांक 13.03.2013 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 236 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) : असम में पुलिस सुधारों के संबंध में कोई विशिष्ट प्रस्ताव गृह मंत्रालय में लंबित नहीं है।

(ख) और (ग) : पुलिस सुधारों और अपराध दर में कमी को पूर्णरुपेण सम्बद्ध नहीं किया जा सकता क्योंकि अपराध आर्थिक, नृजातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक और अन्य सामाजिक कारकों से संबद्ध होता है। पुलिस सुधारों की परिकल्पना पुलिस व्यवस्था सबंधी प्रणाली की उन कमियों को दूर करने के लिए की गई है, जो कार्यात्मक और परिचालनात्मक क्षमताओं को प्रभावित कर सकती हैं। असम में अपराध की दर में भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराधों की विभिन्न श्रेणियों में घट-बढ़ की प्रवृत्ति दिखाई दी है। तथापि, गृह मंत्रालय के पास उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार, समग्र अपराध दर में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी है, जो वर्ष 2009 में प्रति लाख की आबादी पर 181.2 से बढ़कर वर्ष 2011 में प्रति लाख आबादी पर 214 हो गई है । असम में अपराध की दर राष्ट्रीय औसत के आधे से कम है। जहां तक पुलिस सुधारों का संबंध है, राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पुलिस बल को पेशेवर रुप से संगठित, सेवा उन्मुख और कानून के प्रति जवाबदेह बनाकर लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए निष्पक्ष और सक्षम पुलिस सेवा प्रदान करने के लिए "असम पुलिस अधिनियम, 2007' पारित और अधिसूचित किया गया है।

इसके अलावा, राज्य ने पुलिस स्थापना बोर्ड, पुलिस जवाबदेही आयोग और राज्य सुरक्षा आयोग गठित किया है, जो संतोषजनक रुप से कार्य कर रहे हैं।

*****